उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1995

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1995)

THE UTTAR PRADESH STATE COUNCIL OF HIGHER EDUCATION ACT, 1995

(U.P. Act No. 22 of 1995)

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1995

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1995]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 34, 2007

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 07, 2014

द्वारा संशोधित

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने दिनांक 25 अगस्त, 1995 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 25 अगस्त, 1995 को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना के लिये और उससे सम्बद्ध और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

चूंकि भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में सिफारिश है कि उच्च शिक्षा का राज्य स्तरीय नियोजन और समन्वय राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के माध्यम से किया जायगा।

और चूंकि उपर्युक्त राष्ट्रीय नीति के अनुसार राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना के संबंध में सिफारिश करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति का गठन किया था।

और चूंकि उक्त कमेटी ने सिफारिश की कि राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा के उन्नयन और समन्वय और राज्य स्तर के कार्यक्रमों के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ समन्वय के लिए एक प्रभावी तन्त्र की अत्यन्त आवश्यकता है ;

और चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त समिति की सिफारिश के अनुसार राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित किये है ;

और चूंकि राज्य सरकार ने तद्नुसार भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश के अनुसार एक राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना करने का विनिश्चय किया है ;

अतएव, अब, भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1995 कहा जायेगा।

(2) यह 25 मई, 1995 को प्रवृत हुआ समझा जायेगा।

(3) यह समस्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को जिनको उत्तर प्रवेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 लागू होता है, लागू होगा।

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

2–इस अधिनियम में, ––

(क) "महाविद्यालय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की उपाधि ग्रहण करने के निमित्त आवश्यक शिक्षण प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त किसी संस्था से है और इसके अन्तर्गत कोई सम्बद्ध महाविद्यालय, सहयुक्त महाविद्यालय, स्वायत्त महाविद्यालय और घटक महाविद्यालय भी हैं ;

(ख) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से है ;

(ग) "निधि" का तात्पर्य धारा 15 में निर्दिष्ट परिषद की निधि से है ;

(घ) "उच्च शिक्षा" का तात्पर्य शिक्षा, चाहे व्यावसायिक, प्राविधिक अन्यथा हो, जिसका उद्देश्य किसी विश्वविद्यालय की कोई उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना हो से है ;

(ङ) "उच्च शिक्षा की संस्था" का तात्पर्य उच्च शिक्षा मे कोई अध्ययन पाठय–क्रम संचालित करने वाली किसी संस्था, जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अनुमोदित हो, से है;

(च) "सदस्य" का तात्पर्य परिषद् के किसी सदस्य से है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष और सदस्य सचिव मी हैं ;

(छ) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा बनाये गये विनियम से हैं ;

(ज) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" का तात्पर्यं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है ;

(झ) यहां प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्द या पद, जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उस अधिनियन में दिये गये हैं।

उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना

3–(1) "उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्" के नाम से एक परिषद् की स्थापना की जायंगी।

(2) परिषद् एक निगमित निकाय होगी।

(3) परिषद् का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

परिषद् का गठन

4–परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) विख्यात शिक्षाविदों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला अध्यक्ष जो कुलपति हो या रहा हो या जो भारत सरकार के अपर सचिव से अनिम्न स्तर का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हो और जो शिक्षा के क्षेत्र में अभिरूचि और अनुभव रखता हो ;

[1] [(कक) जनप्रतिनिधियों के मुद्दों के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जाने वाले दो उपाध्यक्ष।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 34, 2007 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

(ख) राज्य सरकार की उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;	सदस्य–सचिव
(ग) राज्य सरकार का वित्त विभाग में प्रमुख सचिव/सचित्र;	सदस्य
(घ) राज्य सरकार का नियोजन विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव;	सदस्य
(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सचिव या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी जो संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो; . .	सदस्य
(च) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश; . .	सदस्य
(छ) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश; . .	सदस्य
(ज) विश्वविद्यालयों में कुलपतियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट तीन व्यक्ति;	सदस्यगण
(झ) शिक्षा, अभियंत्रण और विधि प्रत्येक के क्षेत्र में विख्यात शिक्षाविदों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन से अनधिक व्यक्ति;	सदस्यगण
(ञ) महाविद्यालयों के प्राचार्यों में से परिषद् द्वारा सहयोजित एक व्यक्ति;	सदस्य
(ट) प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से जिनका उच्च शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान है, परिषद् द्वारा सहयोजित एक व्यक्ति। .	सदस्य

विशिष्ट प्रयोजन के लिए परिषद् के साथ व्यक्तियों का अस्थायी सहयोजन

5–परिषद् किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को जिसकी सहायता या सलाह को वह अपने कार्य के कार्यान्वित करने में वांछित समझे, अपने साथ सहयुक्त कर सकती है। किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए परिषद् के साथ सहयुक्त व्यक्ति को उस प्रयोजन से सुसंगत विचार–विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे परिषद् की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

परिषद् की सदस्यता के लिए अनर्हता

6–कोई व्यक्ति, परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए या सदस्य के रूप में नाम–निर्दिष्ट किए जाने के लिए या ऐसा अध्यक्ष या नाम–निर्दिष्ट सदस्य होने के लिए, अनर्ह होगा, यदि–

(क) वह विकृत चित्त का हो ;

(ख) वह अनुन्मुक्त दिवालिया हो ;

(ग) उसे विधि के अधीन कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अन्तग्रस्त हो, कारावास का दण्ड हुआ हो और ऐसा दण्ड निष्प्रभावी न किया गया हो और दण्ड की समाप्ति के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि व्यपगत न हुई हो;

(घ) वह परिषद् का वेतनभोगी अधिकारी या कर्मचारी हो ; या

(ङ) उसमें ऐसी अन्य अनर्हताएं हों जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

अध्यक्ष और नाम–निर्दिष्ट सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्ते

7–(1) अध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और नाम–निर्दिष्ट सदस्य और सहयोजित सदस्य एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और यथास्थिति, तीन वर्ष या एक वर्ष की अग्रतर अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति या पुनः नाम–निर्देशन या सहयोजन के लिए पात्र होंगे ;

[1][X X X X]

(2) अध्यक्ष या नाम निर्दिष्ट सदस्य या सहयोजित सदस्य, यथास्थिति, राज्य सरकार या परिषद् को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकता है किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका त्याग–पत्र, यथास्थिति, राज्य सरकार या परिषद् द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय।

(3) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष और नाम–निर्दिष्ट सदस्यों की सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाये।

(4) अध्यन ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जैसे विहित किए जायं।

सदस्य–सचिव की शक्तियां और कर्तव्य

8–सदस्य–सचिव इस अधिनियम के अधीन उसे प्रवत्त शक्तियों या उस पर आरोपित कृत्यों का, और ऐसी अन्य शक्तियों और दृश्यों का जो विहित किए जाएं प्रयोग और पालन करेगा ।

परिषद् की सदस्यता से हटाया जाना

9–यदि, किसी समय, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि अध्यक्ष या नाम–निर्दिष्ट सदस्य या सहयोजित सदस्य ने स्वयं को पद के लिए अनुपयुक्त प्रदर्शित किया है. या ऐसे कदाचार या उपेक्षा का दोषी रहा है जिसके कारण उसे हटाना समीचीन है तो राज्य सरकार, उसे कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे नाम–निर्दिष्ट का सहयोजित सदस्य को पद से हटा सकती है।

आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना

10–यदि अध्यक्ष या किसी नाम–निर्दिष्ट या सहयोजित सदस्य का पद, चाहे उसकी मृत्यू, त्याग–पत्र, हटाए जाने या अन्यथा किसी कारण से रिक्त हो जाय तो ऐसी रिक्ति को, यथास्थिति, राज्य सरकार परिषद् द्वारा यथाशक्य शीघ्र भरा जाएगा और ऐसा अध्यक्ष या नाम–निर्दिष्ट या सहयोजित सदस्य छः मास से अनधिक की अवधि के लिए या सम्यक रूप से नाम–निर्दिष्ट या सहयोजित सदस्य के कार्यभार ग्रहण करने तक इनमें जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

परिषद् की शक्तियां और कृत्य

11–(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में समन्वय करना और मानक निर्धारित करना परिषद् के कृत्य होंगे।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद के कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे।

एक–योजना और समन्वय–

(क) राज्य उच्च शिक्षा की समग्र प्राथमिकताओं और सन्देशों और विश्वविद्यालय

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 07, 2014 की धारा 2 द्वारा निकाला गया ।

अनुदान आयोग द्वारा जारी मार्ग–दर्शक सिद्धांतों को दृष्टि में रखते हुए राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समेकित कार्यक्रमों को तैयार करना और उनके क्रियान्वयन में सहायता करना ;

(ख) मानकों के अवधारण और अनुरक्षण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता करना और, जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्यवाही का सुझाव देना ;

(ग) राज्य में उच्च शिक्षा के विकास के लिए सन्दर्भ योजनाओं को तैयार करना ;

(घ) यदि राज्य सरकार अपेक्षा करे तो अपनी समीक्षा और सिफारिशों के साथ विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विकासात्मक कार्यक्रमों को उसे प्रस्तुत करना ;

(ङ) उच्च शिक्षा की संस्थाओं के मध्य सहयोग को प्रोत्साहन देना और उद्योग और अन्य सम्बन्धित अधिष्ठानों के साथ अन्योन्य क्रिया के क्षेत्र का अन्वेषण करनाय ;

(च) राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी मार्ग–दर्शक के अनुसार नए महाविद्यालयों को प्रारम्भ करने के लिए और विद्यमान महाविद्यालयों में अतिरिक्त विषयों और विभागों को प्रारम्भ करने के लिए प्रतिमानों और सिद्धान्तों को सूत्रबद्ध करना ;

(छ) राज्य में उच्च शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपायों और साधनों का सुझाव देना ;

(ज) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध निधिकरण का समन्वय करना ;

दो–शैक्षिक कृत्य–

(क) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों पाठयक्रम का पुनर्निर्माण और अद्यतन करके पाठयचर्या के विकास में अभिनव परिवर्तन को प्रोत्साहित करना ;

(ख) स्वायत्त महाविद्यालयों के कार्यक्रमों का समन्वय करना और उनके क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना ;

(ग) विश्वविद्यालयों और स्वायत्त महाविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं के स्तरों को सुधारने की रीति और उपायों को निकालना और आवश्यक सुधारों का सुझाव देना ;

(घ) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों के प्रशिक्षण को सुसाध्य बनाना और समन्वय के द्वारा महाविद्यालयों के शैक्षिक कर्मचारियों के कृत्यों का निरीक्षण करना और उत्कृष्ट पाठय–पुस्तकों, प्रबन्धों और सन्दर्भित पुस्तकों आदि के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में संकायों के बीच प्रभावी शैक्षिक सहयोग और अन्योन्यक्रिया के लिए कार्यक्रमों को विकास करना और राज्य के भीतर और बाहर अध्यापकों और छात्रों की गतिशीलता को सुसाध्य बनाना ;

(च) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रवेश विनियमित करने के विषय पर परामर्श देना ;

(छ) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में खेलकूद, क्रीडा, शारीरिक शिक्षा, सांस्कृतिक क्रिया–कलापों और अन्य–शिक्षणेतर क्रिया–कलापों को प्रोत्साहित करना ;

(ज) प्रसार किया–कलापों को प्रोत्साहित करना और विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय योजन और विकास से सुसंगत विशिष्ट क्षेत्रों में प्रभावी परामर्श के माध्यम से विश्वविद्यालयों और उद्योगों के मध्य अन्योन्य क्रिया को प्रोत्साहित करना ;

(झ) राज्य में विश्वविद्यालयों पर महाविद्यालयों के कार्य करने पर एक पर्यवेक्षणात्मक रिपोर्ट तैयार करना और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को और ऐसे अन्य प्राधिकारियों को, जिन्हें राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, भेजना ;

(ञ) विश्वविद्यालयों में श्रेष्ठता के केन्द्रों की पहचान करना और प्रति उन्नत क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संयोजन की व्यवस्था करना ;

(ट) विश्वविद्यालय के भीतर या बाहर ज्ञान के उन्नत क्षेत्रों में, जिसमें मोलीकुलर बॉयलोजी, जैनेटिक इंजीनियरिंग, एरोस्पेस बायो–टेक्नालाजी भी सम्मिलित है, श्रेष्ठ संस्थाओं को बढ़ावा देना ;

(ठ) वैज्ञानिक शोध के लिए एक राज्य केन्द्र की स्थापना करना और विश्वविद्यालयों के मध्य शोध क्रिया–कलापों का समन्वय करना ;

(ड) विशिष्ट वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और शिल्प वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कारों को प्रारम्भ करना ;

(ढ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् और उच्च शिक्षा से सम्बन्धित अन्य केन्द्रीय अभिकरणों के साथ सम्पर्क कार्य करना ;

तीन–सलाहकारी कृत्य–

(क) नए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को स्थापना से सम्बन्धित मानदण्डों के, यदि कोई हों, सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देना ;

(ख) विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधियों, राज्य में विश्वविद्यालयों के परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का परीक्षण करना और शैक्षिक कामकाजों के लिए स्वायत्तता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रशासन में एकरूपता बनाए रखने के लिए उपान्तरों का जहां–कहीं अपेक्षित हो, सुझाव देना ;

(ग) उद्योगों, संस्थानों और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को परामर्श जैसी सेवाओं से स्वतः उत्पन्न होने वाली निधि के माध्यम से सम्पोषित विकास के लिए नवीन कार्यक्रमों को पहचान करना और उन्हें चलाना ;

(घ) राज्य सरकार या किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या उच्च शिक्षा की संस्था को उच्च शिक्षा और शोध से सम्बन्धित किसी अन्य विषय पर जो वे परिषद् को निर्दिष्ट करे, परामर्श देना ;

(ङ) राज्य सरकार को नए महाविद्यालयों को प्रारम्भ करने और विद्यमान महाविद्यालयों में अतिरिक्त विषयों और विभागों को प्रारम्भ करने के लिए परामर्श देना ;

चार–वित्तीय कृत्य–.

(क) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को सहायता अनुदान र्निमुक्त करना और उनका अनुश्रवण करना ;

(ख) छात्र कल्याण निधि, राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों, अन्य छात्रवृत्तियों, यात्रा अनुदान, प्रकाशन अनुदान और ऐसे अन्य अनुदान जैसे राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, का प्रबन्ध और विनियमन करना और उससे वित्तीय सहायता स्वीकृत करना ;

(ग) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय निधीयन अभिकरणों से परिषद् द्वारा प्राप्त शोध निधियों को यदि कोई हो, निर्मुक्त करना और उनका अनुश्रवण करना ;

(घ) संस्थाओं को आत्म–निर्भर और व्यवहार्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार को सलाह देना।

पांच–अन्य कृत्य–

(क) उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों और उनसे सम्बन्धित विषयों के इतिहास को प्रकाशित करना ;

(ख) उच्च शिक्षा और शोध में उत्कर्ष की अभिवृद्धि के लिए आवश्यक ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो उसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपे जाएं ;

परिषद् की बैठकें

12–परिषद् उतनी बार जितनी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगी और प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जैसी विनियमों में व्यवस्था की जाय।

परन्तु परिषद् की तीन मास में कम से कम एक बैठक होगी।

परिषद् का कर्मचारी वर्ग

13–परिषद् उतनी संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करेगी जितने राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किए जाएं। परिषद् के कमचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विनियमों में उपबन्धित की जायं।

परिषद् का बजट

14–परिषद् प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय, आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों को दर्शाते हुए एक बजट तैयार करेगी और उसे ऐसे प्रपत्र में जैसा विहित किया जाय राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।

परिषद् की निधि

15–(1) परिषद् की अपनी निधि होगी जिसमें निम्नलिखित जमा किए जायेंगे––

(क) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया समस्त धन ;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया समस्त धन ;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया समस्त धन ;

(घ) परिषद् को अनुदानों, उपहारों दानों, उपकृतियों, वसीयतों या अन्तरणों द्वारा प्राप्त समस्त धन ;

(ङ) परिषद् को किसी अन्य रीति या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त समस्त धन ;

(2) निधि में जमा समस्त धन ऐसे बैंकों में जमा किया जायगा या ऐसी रीति से विनियोजित किया जाएगा जैसा कि परिषद्, राज्य सरकार के अनुमोदन से, विनिश्चित करे।

(3) निधि को परिषद् के व्यय, जिसमें धारा 11 के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्यय सम्मिलित है, को पूरा करने में लगाया जायगा।

वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा

16–(1) परिषद् का लेखा ऐसी रीति में और ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाय, रखा जाएगा । परिषद् लेखों की एक वार्षिक विवरणी ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाय, तैयार करेगी।

(2) परिषद् के लेखों की लेखा परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार, ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा, जिसे राज्य सरकार इस निमित नियुक्त करें, की जायगी।

(3) लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए उपधारा (2) के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षक को ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जैसे विहित किए जाएं।

(4) परिषद् का सदस्य–सचिव लेखा परीक्षा रिपोर्ट को छपवायेगा और उसकी एक छपी हुई प्रति प्रत्येक सदस्य को भेजेगा और ऐसी रिपोर्ट को परिषद् के सामने उसकी अगली बैठक में विचार के लिए रखेगा।

(5) परिषद्, लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इंगित किसी वृद्धि या अनियमितता के उपाय के लिये तत्काल समुचित कार्यवाही करेगी।

(6) लेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित परिषद् के लेखे की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उस परं परिषद् की अभ्युक्ति के साथ राज्य सरकार को ऐसी अवधि के भीतर, जैसी विहित को जाय, भेजे जायेंगे।

(7) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा ऐसे समय के भीतर जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताई गई त्रुटियों को, यदि कोई हो, सुधारने के लिए परिषद् को ऐसी कार्यवाही करने के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, निर्देश दे सकती है, और परिषद् ऐसे निर्देश का अनुपालन करेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

17–परिषद्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, ऐसे दिनांक से पहले और ऐसे प्रपत्र में जो विहित किया जाय, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपने क्रिया व्ययों का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगी और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी और इस रिपोर्ट में अगले वित्तीय वर्ष में परिषद द्वारा विचार किए जाने वाले क्रिया–कलापों का यदि कोई हो, विवरण भी होगा और राज्य सरकार प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट को उनकी प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी। वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी भेजी जाएगी।

निदेश जारी करने की शक्ति

18–राज्य सरकार परिषद् को ऐसे निदेश जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्यित करने के लिए आवश्यक और समीचीन हो, जारी कर सकती है और परिषद् ऐसे समस्त निदेशों को कार्यान्वित करेगी।

परिषद् के आदेशों और अन्य लिखतों का अधि–प्रमाणीकरण

19–समस्त आदेश, विनिश्चय और अन्य लिखते परिषद् के सदस्य सचिव या इस निमित्त परिषद् द्वारा प्राधिकृत परिषद् के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित की जायेंगी।

गठन आदि में किसी त्रुटि के आधार पर परिषद् की कार्यवाहियां अविधिमान्य न होंगी

20–परिषद् की सदस्यता में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि के रहते हुए भी, उसे कार्य करने की शक्ति होगी और परिषद् की कार्यवाहिया, इस बात के होते हुए भी कि किसी व्यक्ति ने, जो सदस्य होने के लिए हकदार नहीं था, परिषद् की कार्यवाही में बैठा, मतदान किया या अन्यथा भाग लिया था, विधिमान्य होंगी।

परिषद् के कर्मचारी और सदस्य लोक सेवक होंगे

21–परिषद् का अध्यक्ष, प्रत्येक सदस्य, सदस्य सचिव और प्रत्येक कर्मचारी, जब वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में या तदधीन बनाए या जारी किए गए नियमों, विनियमों, आदेशों या निदेशों के अनुसार कार्य करे या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

सद्भावना से किए गए कार्य का संरक्षण

22–राज्य सरकार, परिषद् या उसके अध्यक्ष या किसी सदस्य या राज्य सरकार या परिषद् के निदेशों के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति या कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी किसी कार्य के लिए जो इस अधिनियम के उपबन्धों के या तद्धीन बनाए या जारी किए गए नियमों, विनियमों, आदेशों या निदेशों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किए जाने के लिए अभिप्रेत हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

सूचना मांगने की शक्ति

23–परिषद् किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से धारा 11 में निर्दिष्ट विषयों से सम्बधित ऐसी सूचना, दस्तावेज या अभिलेख, जिसे वह उचित समझे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है और ऐसा विश्वविद्यालय या महाविद्यालय परिषद् को मांगी गई सूचना, दस्तावेज या अभिलेख देने के लिए बाध्य होगा।

अभिलेखों, रजिस्टरों आदि की निरीक्षण करने की शक्ति

24–विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कब्जे में प्रत्येक अभिलेख, रजिस्टर या दस्तावेज की सदस्य सचिव या परिषद् द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति देख सकेगा और वह धारा 11 में निर्दिष्ट विषयों से सम्बन्धित सुसंगत अभिलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है और उनकी प्रतिलिपियां ले सकता है।

नियम बनाने की शक्ति

25–राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनो को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

विनियम बनाने की शक्ति

26–परिषद्, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किन्ही नियमों के अधीन रहते हुए और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित के सम्बन्ध में विनियन बना सकती है–

(क) अपनी बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या को अधिकथित करना ;

(ख) उन समस्त मामलों के लिए जो इस अधिनियम द्वारा विनियमों द्वारा उपबंन्धित किए जाएं ; और

(ग) केवल परिषद् से सम्बन्धित किसी अन्य विषय की व्यवस्था करने के लिए जिसकी इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों में व्यवस्था न हो।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

27–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, जैसा अवसर विशेष पर अपेक्षित हो, अधिसूचित आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे प्रभावी होगा।

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नही किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी देश द्वारा बनाए गए उपबन्धः प्रभावी होंगे मानो इस अधिनियम में अधिनियमित किए गए है और ऐसा कोई आदेश किसी भूतलक्षी दिनांक से, किन्तु वे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व का दिनांक नहीं होगा, दिया जा सकता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीनः राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

निरसन और अपवाद

28–(1) उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।